छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009

(श्रावण - 1, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री सुखीराम, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, श्री दूजराम बौद्ध एवं श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित होकर 11.30 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मदनवाड़ा में हुई नक्सली मुठभेड़ की घटना पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की गई।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग तथा अन्य सदस्यों के प्रश्न पूछने में सहयोग देने का आग्रह किया गया परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य निरंतर नारेबाजी करते रहे।

माननीय अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के अनुरूप गरिमापूर्ण ढंग से सदन को चलाने का आग्रह किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.37 बजे स्थगित की जाकर 11.52 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

3. प्रश्नोत्तर (क्रमश:)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की जाती रही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के निरन्तर व्यवधान के कारण, अन्य सदस्यों के प्रश्नों पर चर्चा नहीं होने की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 4 तारांकित प्रश्न एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.55 बजे स्थगित की जाकर 12.00 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य निरंतर नारेबाजी करते हुए गर्भ गृह में आये।

4.गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

विधान सभा की कार्य प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं:-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, रामपुकार सिंह, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, ह्दय राम राठिया, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, अग्नि चंद्राकर, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, गुरु रूद्रकुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू, श्री गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे एवं लखमा कवासी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए व सदस्यों के निलंबन की अवधि पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी।

5. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला राजनादंगांव के मदनवाड़ा जिले में नक्सली मुठभेड़ संबंधी सर्वश्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, अजीत जोगी, मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रामपुकार सिंह, लखमा कवासी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, देवेन्द्र बहादुर सिंह, राजकमल सिंघानिया, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री ह्दय राम राठिया, गुरुमुख सिंह होरा, लेखराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री रामदेव राम, सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में से श्री नंदकुमार पटेल की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने 12.20 बजे नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं सदन में उपस्थित होकर स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया।

7. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

डॉ.सुभाऊ कश्यप,

8. व्यवस्था

प्रतिपक्ष के सदस्य चर्चा में भाग लेवें

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा आरंभ होने के पूर्व सभा के गर्भगृह में जान-बूझ कर नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश कर गये, फलस्वरूप स्वमेंव निलंबित हुए हैं। स्थगन प्रस्ताव पर शासन का वक्तव्य सभा में आये व जनता तथ्यों से अवगत हों। अत: आज सूचना को सदन में लिया जाना मैंने उचित समझा, मैंने सदस्यों का निलम्बन भी इसी भावना से समाप्त किया कि वे इस विषय सहित आज की कार्यसूची अनुसार कार्य सम्पादन में हिस्सा लें। मेरा सदस्यों से पुन: अनुरोध है कि कृपया चर्चा में हिस्सा लें।

9. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमश:)

श्री सौरभ सिंह।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल सदस्य ने प्रदेश में मॉल एवं कॉम्पलेक्स निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा (अनुपस्थित) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई

11. नियम 267-क के अधीन विषय

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने फसल क्षति का भुगतान न किये जाने संबंधी शून्काल की सूचना पढ़ी।

12. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) पुर:स्थापित किया ।

14. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21,24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 53, 55, 56, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तीन सौ चवालीस करोड़, पांच लाख, चौवन हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -
श्री सौरभ सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री दूजराम बौद्ध, डॉ.सुभाऊ कश्यप

15. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-मुख्य प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आज जब उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही थी तो सभा के गर्भगृह में आकर स्वमेव निलंबित हो गये हैं। मैंने उसी समय निलंबन समाप्त भी कर दिया ताकि वे सभा की कार्यवाही में कार्यसूची अनुसार कार्य सम्पादन में हिस्सा लें, लेकिन वे आज भोजन अवकाश के समय तक नहीं आये हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि भोजनावकाश पश्चात् वे कार्यवाही में हिस्सा लेवें।

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री नारायण प्रसाद चंदेल) पीठासीन हुए।)

16. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, दीपक कुमार पटेल

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

18. वक्तव्य

विलंबित वर्षा एवं खरीफ मौसम की वर्तमान स्थिति

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने विलंबित वर्षा एवं खरीफ मौसम की वर्तमान स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 4.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 (श्रावण 2, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा